जीसीएमएस नं. 2025/164

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर०ए०एस०

ई०सी०एक्ट प्रकरण सं० 07/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय यादव, निवासी लालचंद की ढाणी, गणेश चौक, तहसील, श्रीगंगानगर।
2. फर्म यादव स्वीट कॉर्नर, बसंती चौक, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी अधिवक्ता रणजोध सिंह राणा।

निर्णय दिनांकः 28.11.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 14.10.2025 को बसंती चौक, श्रीगंगानगर स्थित दुकान यादव स्वीट कॉर्नर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय यादव, निवासी लालचंद की ढाणी, गणेश चौक, तहसील, श्रीगंगानगर बताया एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री राजकुमार पुत्र श्री कपल राय की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मिठाई, नमकीन आदि बनाने में होना पाया गया। उक्त दुकान पर मिठाई, नमकीन आदि बनाकर विक्रय करने का व्यवसाय होना पाया गया। मौके पर उक्त दुकान पर 03 एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर पाये गये। मौके पर पाए गए 03 गैस सिलेंडर में से 02 एचपी गैस एजेंसी व 01 इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री राजकुमार पुत्र श्री कपल राय** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उक्त दुकान में पाये गए 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री लक्की मिढ़ा पुत्र श्री भीमसैन मिढ़ा, जाति अरोड़ा, निवासी 57 दावड़ा कॉलोनी, श्रीगंगानगर संचालक नवपाल इंडेन गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय** द्वारा 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **राजकुमार पुत्र श्री कपल राय** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रणजोध सिंह राणा उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी फर्म यादव स्वीट कॉर्नर, बसन्ती चौक, श्रीगंगानगर का प्रोपराईटर है। उक्त फर्म का कार्य मिठाई बनाने व विक्रय करने का है। दिनांक 14.10.2025 को शाम को करीबन साढ़े पांच बजे उक्त फर्म पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दौराने जाचं में घरेलू एलपीजी गैस सिलेन्डरो का उपयोग मिठाई/नमकीन आदि का होना पाया गया मौके पर उक्त दुकान पर तीन एलपीजी घरेलू गैस सिलेन्डर पाये गये। मौके पर पाये गये सिलेन्डरो में से दो एचपी गैस एजेन्सी व एक इन्डेन गैस एजेन्सी के थे। मौके पर प्रार्थी के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी पिछले कई वर्षो से उक्त फर्म का संचालन कर रहा है जिसमें तय प्रावधानो के अनुसार मिठाई बनाने में अघरेलू गैस सिलेन्डरो का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिनांक 14.10.2025 को किसी विवाह से सम्बन्धित मिठाई के आर्डर मिलने के कारण मिठाई तैयार करते वक्त अघरेलू गैस सिलेन्डर खत्म हो गया था जिस वजह से मजबूरीवश घरेलू गैस सिलेन्डर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एचपी व इन्डेन गैस एजेन्सी के सिलेन्डर प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के नाम से घरेलू गैस कनैक्शन लिया हुआ है। मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत है। प्रार्थी को उक्त गैस सिलेन्डर वापिस लौटाये जावे तथा प्रार्थी इसके लिये क्षमा मांगता है। भविष्य में प्रार्थी द्वारा अघरेलू गैस सिलेन्डरो का इस्तेमाल किया जावेगा तथा प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करेगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से अर्ज है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी को उसके तीनो सिलेन्डर वापिस लौटाये जावें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 14.10.2025 को बसंती चौक, श्रीगंगानगर स्थित दुकान यादव स्वीट कॉर्नर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय यादव, निवासी लालचंद की ढाणी, गणेश चौक, तहसील, श्रीगंगानगर बताया एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री राजकुमार पुत्र श्री कपल राय की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मिठाई, नमकीन आदि बनाने में होना पाया गया। उक्त दुकान पर मिठाई, नमकीन आदि बनाकर विक्रय करने का व्यवसाय होना पाया गया। मौके पर उक्त दुकान पर 03 एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर पाये गये। मौके पर पाए गए 03 गैस सिलेंडर में से 02 एचपी गैस एजेंसी व 01 इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री राजकुमार पुत्र श्री कपल राय** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उक्त दुकान में पाये गए 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री लक्की मिढ़ा पुत्र श्री भीमसैन मिढ़ा, जाति अरोड़ा, निवासी 57 दावड़ा कॉलोनी, श्रीगंगानगर संचालक नवपाल इंडेन गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय** द्वारा 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **राजकुमार पुत्र श्री कपल राय** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 14.10.2025 को बसंती चौक, श्रीगंगानगर स्थित दुकान यादव स्वीट कॉर्नर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय यादव, निवासी लालचंद की ढाणी, गणेश चौक, तहसील, श्रीगंगानगर बताया एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री राजकुमार पुत्र श्री कपल राय की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मिठाई, नमकीन आदि बनाने में होना पाया गया। उक्त दुकान पर मिठाई, नमकीन आदि बनाकर विक्रय करने का व्यवसाय होना पाया गया। मौके पर उक्त दुकान पर 03 एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर पाये गये। मौके पर पाए गए 03 गैस सिलेंडर में से 02 एचपी गैस एजेंसी व 01 इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री राजकुमार पुत्र श्री कपल राय** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उक्त दुकान में पाये गए 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री लक्की मिढ़ा पुत्र श्री भीमसैन मिढ़ा, जाति अरोड़ा, निवासी 57 दावड़ा कॉलोनी, श्रीगंगानगर संचालक नवपाल इंडेन गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री राजकुमार पुत्र श्री कपलराय** द्वारा 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम एलपीजी गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **राजकुमार पुत्र श्री कपल राय** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 9.6 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner